Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2016/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2016
(प्रथम भाद्र, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग– II	**अध्यादेश**	
	न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) (केवल हिन्दी में)	11
भाग– III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग– IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग-II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 अगस्त, 2016

संख्या लैज.20/2016.— दि कॉःट फ़ीस (हरियाणा ॲमे'न्डमेन्ट) ऑःड्–इ–नॅन्स, 2016, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 17 अगस्त, 2016 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2016 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4

न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870,
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे
संशोधित करने के लिए
अध्यादेश

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि, हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. यह अध्यादेश न्यायालय फीस (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 26 में, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:— 1870 का केन्द्रीय अधिनियम 7 की धारा 26 का संशोधन।

''व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''स्टाम्प'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मोहर या पृष्ठांकन तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए प्रभार्य चिपकाने वाली या छापित स्टाम्प भी शामिल है; तथा

(ii) ''छापित स्टाम्प'' से अभिप्राय है, किसी अंकन या किसी अन्य मशीन या ई–स्टाम्पिंग द्वारा कोई छाप।''।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 17 अगस्त, 2016.

प्रो० कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।